राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पारा बनाम गंगा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अदकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/12/25	871/2018 ~~पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी संख्या~~ 1 लगा. 5 ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 08/12/2025 को पेश हो।	
08/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कैम्प न्याय आपके द्वार में नियत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01/06/2018 पारित करते हुए तहसीलदार जमवारामगढ़ को वादग्रस्त खसरा नम्बर 173, 198, 231, 714/8, 769, 792, 843, 846, 859 कुल खसरा नम्बर 9 कुल रकबा 06 बीघा 4 बिस्वा ग्राम रतनपुरा जाटान, तहसील जमवारामगढ़ की वादियागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक 1/6 के खातेदार काश्तकार है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करते हुए कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की लिखित बहस पर एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सरपंच ग्राम गठवाडी, प.स. जमवारामगढ़ द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं लोक अदालत में की गयी समझाईश के आधार पर उभयपक्ष द्वारा व्यक्त की गयी सहमति के आधार पर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है एवं अपीलार्थी द्वारा तकनीकी बिन्दुओ एवं प्रक्रियांत्मक त्रुटी को दर्शित करते हुये उन्हें चुनौती दी गयी है। ऐसेमें पक्षकारान के मध्य सहमति के आधार पर पारित की गयी प्राथमिक डिक्री को अपास्त किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01/06/2018 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर